अनुबंध: प्रमुख नीतिगत गतिविधियों का कालक्रम

घोषणा की तारीख		उपाय
क) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक		
2003		
अप्रैल	8	• विदेशों में भारतीय संयुक्त तत्वावधानों / पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनियों को ऋण / गैर-ऋण सुविधाएं प्रस्तुत करने की बैंकों के लिए अधिकतम सीमा को बैंकों की अक्षत टीयर I पूंजी के 5 प्रतिशत से बढ़ाकर अक्षत पूंजी निधियों (टीयर I तथा टीयर II पूंजी) का 10 प्रतिशत कर दिया गया।
	23	• सिक्यूरिटाइजेशन और रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनांशियल असेट्स एण्ड एन्फोर्समेंन्ट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट (एस ए आर एफ ए इ एस आइ) एक्ट, 2002 के लिए अंतिम दिशा निर्देश जारी किये गये। ये दिशा निर्देश तथा निर्देश, प्रतिभूतिकरण तथा आस्ति पुनर्निमाण के कारोबार, अधिशेष निधियों को खपाना, अंतरिक नियंत्रण प्रणाली, विवेकशील मानदण्डों, प्रकटीकरण अपेक्षाओं आदि को लागू करने के लिए पंजीकरण, निधियां, अनुमत कारोबार, परिचालनगत ढांचे से संबंधिक आस्ति पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूतिकरण के विभिन्न पहलुओं से संबंधित हैं। दिशानिर्देशों तथा निदेशों, जोकि अनिवार्य हैं, के अलावा सिफारिशी प्रकृति के दिशानिर्देश देने वाले नोट भी जारी किये गये। इनमें आस्तियों के अधिग्रहण, जमानत रसीदें जारी करना आदि से संबंधित पहलुओं को शामिल किया गया था।
	24	• जम्मू तथा काश्मीर राज्य के उधारकर्ताओं/ग्राहकों की रियायतें / ऋण छूटें एक और वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 31 मार्च 2004 तक जारी रखी गयीं।
	29	• 14 जून 2003 से शुरू होने वाले पखवाड़े से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 के अन्तर्गत शुद्ध मांग तथा मीयादी देयताओं (शून्य सीआर आर निर्धारण के अधीन देयताओं को शामिल न करते हुए) के 4.5 प्रतिशत की दर पर चलनिधि प्रारक्षित अनुपात रिज़र्व बैंक के पास रखने की अपेक्षा की गयी थी। • नयी एनआरई जमाराशियों की परिपक्वता अवधि तत्काल प्रभाव से एक से तीन वर्ष निर्धारित की गयी। इसके अलावा, उपर्युक्त अनुदेश उनकी मौजूदा अवधि समाप्ति के बाद नवीकृत एनआरई जमाराशियों पर लागू होंगे।
मई	5	• ऋणों के लिए आवेदन पर और उनकी प्रोसेसिंग, ऋण मूल्यांकन तथा शर्तें, ऋण संवितरण, जिनमें शर्तों में परिवर्तन, संवितरण के वादा पर्यवेक्षण आदि शामिल हैं, के संबंध में उचित व्यवहार संहिता पर व्यापक दिशानिर्देश जारी किये गये।
	7	• आइएफआर सृजन में और अधिक रियायतें देने के प्रयोजन से यह निर्णय लिया गया कि 31 मार्च 2003 से प्रभावी, हालांकि आइएफआर, टीयर II पूंजी के रूप में ही माना जाता रहेगा, इस पर कुल जोखिम भारित आस्तियों की 1.25 प्रतिशत की अधिकतम सीमा लागू नहीं होती, अलबत्ता, पूंजी पर्याप्तता मानदण्डों के अनुपालन के प्रयोजन से आइएफआर सहित टीयर II पूंजी को कुल टीयर I पूंजी के अधिकतम 100 प्रतिशत तक माना जाता रहेगा।
	23	• एक बारगी निपटान (ओटीएस) योजना के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त करने के लिए समयावधि को 30 अप्रैल 2003 से बढ़ाकर 30 सितम्बर 2003 तथा आवेदनपत्रों की प्रोसेसिंग के लिए समयावधि को 31 अक्तूबर 2003 से बढ़ाकर 31 दिसम्बर 2003 कर दिया गया।
जून	26	• निधियों की कमी की वजह से नकारे गये लिखतों के संबंध में अतिरिक्त अनुदेश जारी किये गये। अतिरिक्त अनुदेशों में निम्नलिखित शामिल हैं: नकारे गये चेक लौटाने / डाक से भेजने के लिए क्रियाविधि, नकारे गये चेकों के बारे में जानकारी, तथा बार-बार नकारे जाने की घटनाओं से निपटना आदि, बैंको को अपने संबंधित निदेशक मण्डलों के अनुमोदन से नकारे गये चेकों से निपटने के लिए यथोचित क्रियाविधियां भी अपनानी थीं और इसके लिए सहज निषेधात्मक उपाय अपनाने थे तथा आदाता / धारक का चेक के नकारे जाने के तथ्य के बारे में बताने में अथवा उसे इस तरह से नकारे गये चेकों को लौटाने में विलम्ब करने अथवा इस तथ्य को रोके रखने बैंक के स्टाफ की या किसी अन्य व्यक्ति की, चेक के आहरणकर्ता के साथ मिलीभगत के लिए किसी गुंजाइश को रोकना था।
जुलाई	17	• बैंकों को एक बारगी उपाय के रूप में प्रतिभूतियों की बिक्री के लाभ को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी से पूंजी प्रारक्षित खाते में विनियोग की अपेक्षा से छूट दी गयी। यह छूट केवल ऐसी अभिज्ञात प्रतिभूतियों के वैध में लागू होगी जो भारत सरकार को, ऋण पुनःखरीद कार्यक्रम की भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत बेची गयी थीं। • अनिवासी भारतीयों को प्रस्तावित ब्याज दरों में संगति लाने के उद्देश्य से, एक से तीन वर्ष की नयी प्रत्यावर्तनीय अनिवासी बाह्य (एनआइएई) जमाराशियों पर ब्याज दर को घटाया गया। 17 जुलाई, 2003 में शुरू करते हुए, इस तरह की ब्याज दरें, अगली सूचना तक, तदनुरूपी अवधि समाप्ति की अमेरिकी डालर के लिए लिबोर / स्वैप दरों के और 250 आधार पाइंट से अधिक नहीं होनी चाहिए थीं, प्रीमियम को बाद में 15 सितम्बर 2003 से घटा कर 100 आधार पाइंट तथा 18 अक्तूबर 2003 से घटाकर 25 आधार पाइंट कर दिया गया था।
	29	• जानबूझकर चूक के मामलों का पता कराने तथा उनकी चार्ट करने के लिए उपाय करने के लिए बैंकों को यथोचित दिशा निर्देश जारी किये गये। ऐसे उधारकर्ताओं, जिनका यह कहना है कि उन्हें गलती से जानबूझकर चूककर्ता की श्रेणी में डाल दिया गया है, को सुने जाने के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र तेयार किया जाना था।

अनुबंध: प्रमुख नीतिगत गतिविधियों का कालक्रम *(जारी)*

घोषणा की तिथि		उपाय
2003		
अगस्त	18	• ग्रामीण तथा अर्ध शहरी केन्द्रों पर बैंक शाखाओं का कार्यभार लेने की प्रक्रिया के लिए बैंकों द्वारा अपनाये जाने के लिए विस्तृत परिचालनगत दिशा निर्देश जारी किये गये।
	21	• सीआरआर / एसएलआर बनाये रखने के प्रयोजन के लिए शुद्ध माँग और मीयादी देयताओं की गणना के संबंध में बैंकों को अधिसूचना में निर्धारित तरीके से प्रतिनिधि बैंकों के साथ व्यवस्थाओं के संबंध में देयता की गणना करनी थी।
सितम्बर	11	• ऐसे बैंकों को, जो सेबी में डिपाजिटरी सहभागियों के रूप में पंजीकृत थे, यह अनुमति दी गयी कि वे विस्तार काऊंटरों अपने ग्राहकों को डिपाजिटरी सेवाओं की सुविधा दें।
	13	• भारतीय सनदी लेखाकार संस्था के साथ परामर्श करके बैंकों को मुकद्दमा दाखिल खातों में विधिक व्ययों की गणना के लिए कतिपय दिशानिर्देश अपनाने के लिए निदेश दिया गया। इन दिशानिर्देशों से यह संकेत मिलता कि मुकद्दमा दाखिल खातों के संबंध में बैंकों द्वारा वहन किये गये विधिक व्यय, व्यय किये जाते समय लाभ और हानि खाते में नामे डाले जाने चाहिए। उधारकर्ताओं में इस तरह के व्ययों की वसूली की निगरानी के प्रयोजन के लिए बैंक ज्ञापन नियन्त्रण ऋण खाता (मेमोरण्डम कन्ट्रोल एकाउंट) रख सकते हैं। इसके अलावा, उधारकर्ता से विधिक व्यों की वसूली के समय, वसूल की गयी राशि को उस वर्ष के लाभ और हानि खाते में माना जाये, वित्त वर्ष वसूली की जाती है, ये दिशा निर्देश 31 मार्च 2004 से लागू होने थे।
	16	• भारत में ओवरसीज कार्पोरेट बॉडिज की, मौजूदा विदेशी मुद्रा प्रबंध विनियमावली के अन्तर्गत उपलब्ध विभिन्न मार्गों / योजनाओं के अन्तर्गत पाया 'निवेशक की श्रेणी' के रूप में मान्यता समाप्त की जानी थी।
	26	• मछुवारों, रिक्शावालों, स्वनियोजित व्यक्तियों, आदि के लिए एक नयी ऋण सुविधा; 'स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना' शुरू की गयी ताकि उन्हें बैंकिंग प्रणाली, लचीले, परेशानी के बिना और कम लागत वाले तरीके से पर्याप्त और समय पर ऋण अर्थात कार्यशील पूंजी अथवा ब्लोक पूंजी अथवा दोनों प्रदान किये जा सकें।
अक्तूबर	10	• बैंकों को अपनी ऑफ सोर बैंकिंग यूनिटों से उधार लेने से प्रतिबंधित किया गया तथा घरेलू टैरिफ एरिया में किसी ऑफ शोर बैंकिंग यूनिट के कुल उधार आदि (एक्सपोजर), फेमा विनियमों के अधीन केवल बाह्य वाणिज्यिक उधारी की योजना के अन्तर्गत उस राशि तक सीमित होंगे जो डीटीए में कोई निगम के किसी ऑफ शोर बैंकिंग यूनिट से उधार ले सकता है। इस तरह एक्सपोजर जोड़ किसी भी समय पिछले कार्य दिवस को कारोबार की समाप्ति पर उसकी कुल देयताओं के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
	15	• विशेष प्रयोजन के लिखत जिन्हें निवेश कम्पनियों के रूप में नहीं माना जायेगा और इसलिए उन पर भारत सरकार की सरकारी उद्यमों के विनिवेशों के लिए बैंक वित्त के लिए पात्र माने जाने के मिश्रित प्रयोजन के लिए गैट बैंकिंग वित्तीय कम्पनी के रूप में विचार नहीं किया जायेगा, के लिए कुछेक शर्तें निर्धारित की गयीं। इन शर्तों में निम्नलिखित शामिल है : (क) धारिता कम्पनी के रूप में कार्य कर रहे विशेष प्रयोजन के लिखत जिनकी कुल आस्तियों के 90 प्रतिशत से अन्यून, धारित स्वामित्व पणधारण (स्टेक) के प्रयोजन के लिए धारित शेयरों में निवेश के रूप में हैं, ख) एकमुश्त बिक्री के लिए छोड़ कर इन शेयरों में कारोबार न कर रही, (ग) कोई अन्य वित्तीय गतिविधियों न कर रहीं, तथा (घ) सार्वजनिक जमाराशियां धारण / स्वीकार न कर रहीं।
	18	• विशेष आर्थिक अंचलों (एसई जेड) में कार्यरत प्राधिकृत व्यापारियों को, निम्नलिखित शर्तों के पालन की शर्त पर, भारत सरकार के दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए बाह्य वाणिज्यिक उधार बनने की अनुमति दी गयी: (क) विशेष आर्थिक अंक्लों में इकाइयां अपनी खुद की आवश्यकताओं के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार जुटायेंगी, तथा (ख) नई घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) में अपनी सहयोगी इकाई अथवा किसी दूसरी इकाई को उधार ली गयी कोई निधि अंतरित नहीं करेंगी या उधार नहीं देंगी।
	20	• 4 लाख रुपये तक के ऋणों के लिए सम्पार्श्विक जमानत पर जोर दिये बिना, शैक्षिक ऋण आवेदन पत्र के ऋण और तीव्र निपटान को सुनिश्चित किया जाये।
	21	• बैंकों को मूल उधार दर के सन्दर्भ के बिना तथा ऋण केन्द्र आकार की परवाह किये बिना अग्रिमों पर ब्याज की दरें निर्धारित करने की अनुमति की गयी,
नवंबर	3	• बैंकों को लघु उद्योग क्षेत्र की इकाइयों के अच्छे ट्रैक रिकार्ड तथा वित्तीय स्थिति को देखते हुए ऋणों के लिए संपार्श्विक आवश्यकताओं की छूट की सीमा को मौजूदा 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने (बैंकों में उपयुक्त प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ) की अनुमति दी गयी। • बैंकों को निदेश दिये गये कि वे स्वयं सहायता समूहों के वित्तपोषण में अपनी शाखाओं को पर्याप्त प्रोत्साहन दें, उनके साथ सम्पर्क सूत्र बनायें।

अनुबंध: प्रमुख नीतिगत गतिविधियों का कालक्रम *(जारी)*

घोषणा की तिथि		उपाय
2003		
		• सेबी तथा आइआरडीए के साथ परामर्श करके सिस्टेमेटिकली इम्पॉर्टेंट फिनान्शियल इन्टरमीडियरीज (एसआइएफआइ) के लिए एक विशेष निगरानी प्रणाली प्रस्तावित की गयी ताकि रिज़र्व बैंक, सेबी तथा आइआरडीए के लिए एक समान हित के वित्तीय मामलों पर रिपोर्टिंग प्रणाली तथा अन्तर-समूह लेनदेनों तथा प्रासंगिक सूचना के आदान प्रदान पर रिपोर्टिंग को शामिल किया जा सके।
	4	• भारत में अध्ययन क लिए 7.5 लाख रुपये तथा विदेशों में अध्ययन के लिए 7.5 लाख रुपये की अधिकतम सीमा तक के शैक्षिक ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिमों के रूप में गिने जायेंगे।
	6	• भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों को रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना, अपने प्रधान कार्यालयों को तिमाही आधार पर सामान्य तौर पर अपने भारतीय परिचालनों से अर्जित शुद्ध लाभ /अधिशेष (कर को घटाकर) भेजने की अनुमति दी गयी।
दिसम्बर	3	• बैंक, ब्याज दर जोखिमों को बेहतर तरीके से सामना कर सकें, इसके लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया गया कि वे अपने बोर्डों से अनुमोदन लेकर, 5 प्रतिशत की अनिवार्य अपेक्षा की तुलना में अधिकतम 10 प्रतिशत तक आइएफआर बनायें।
	8	• स्वयं सहायता समूहों को कुछेक शर्तों के अधीन प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए विचार किया जायेगा।
	12	• प्रोफेसर वी.एस.व्यास, निदेशक केन्द्रीय निदेशक मण्डल, रिज़र्व बैंक की अध्यक्षता में बैंकिंग प्रणाली से कृषि तथा सम्बद्ध गतिविधियों को ऋण की उपलब्धता पर एक परामर्शी समिति गठित की गयी।
	16	• डॉक्टर ए.एस.गांगुली, निदेशक, केन्द्रीय निदेशक मण्डल, रिज़र्व बैंक की अध्यक्षता में लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण की उपलब्धता पर एक कार्य दल गठित किया गया।
	27	• विभिन्न बैंकिंग सेवाओं के संबंध में ग्राहक सेवाओं में व्यापक सुधार किये जा सकें, इसके लिए बैंकों को निदेश दिया गया कि वे उनके द्वारा की जा रही लोक सेवाओं पर क्रियाविधि तथा निष्पादकता लेखा परीक्षा करने के लिए तदर्थ समितियां गठित करें। हर तदर्थ समिति से अपेक्षा थी कि अपना कार्य गठन से छहमाह में पूरा करके रिज़र्व बैंक की लोक सेवाओं पर प्रक्रियाओं और कार्य निष्पादन लेखा परीक्षा समिति को अपनी रिपोर्ट पेश करे।
2004		
जनवरी	3	• बैंकों द्वारा शेयरों के वित्तपोषण /गारंटियों के जारी करने के खिलाफ सभी अग्रिमों पर मार्जिन अपेक्षा को 40 प्रतिशत में बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया। इसके अलावा, बैंकों से अपेक्षा की गयी कि वे पूंजी बाजार परिचालनों के लिए उनके द्वारा जारी गारंटियों के संबंध में 25 प्रतिशत (50 प्रतिशत के समग्र मार्जिन के भीतर) का न्यूनतम नकदी मार्जिन लें।
	15	• बैंकों को निदेश दिया गया कि वे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधारों पर आंकडे तिमाही आधार पर प्रत्येक तिमाही के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार रिज़र्व बैंक को भेजें जो एक पखवाड़े के भीतर उसे मिल जाये। अलबत्ता, सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के बैंक प्रत्येक वर्ष के मार्च और सितम्बर के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार छमाही आधार पर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिमों पर क्षेत्रवार अनंतिम आंकड़े भेजना जारी रखेंगे।
	16	• बैंकों को सूचित किया गया कि वे 8 प्रतिशत बचत (करयोग्य) बांड, 2003 पर ब्याज की अदायगी करते समय स्रोत पर कर की कटौती न करें। यह व्यवस्था यूटीआई बैंक, आइडीबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक तथा स्टोक होल्डिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. पर भी लागू होंगी।
	19	• देश भर में करेंसी चेस्ट रखनेवाली बैंकों की सभी शाखाओं को अनुदेश दिये गये कि वे निम्न लिखित क्षेत्रों में जनता को और अधिक सक्रिय तथा उत्साहपूर्ण तरीके से ग्राहक सेवा प्रदान करें। (i) सभी मूल्य वर्गों में नये /अच्छी क्वालिटी के नोटों तथा सिक्कों की मांग को पूरा करने में (ii) गंदे नोट बदलने में (iii) कटे फटे नोटों पर निर्णय लेन में तथा (iv) लेनदेन के लिए अथवा बदलने के लिए सिक्के तथा नोट स्वीकारने में ।
	24	• सरकारी तथा निजी क्षेत्र के सभी बैंकों को निदेश दिया गया कि वे यह अनुदेश जारी करें तथा सुनिश्चित करें कि उनकी शाखाओं द्वारा रखे जानेवाले करेंसी चेस्ट तथा छोटे सिक्कों के डिपो, कूप्रो निकल मिश्र धातु तथा एल्युमिनियम से बनाये गये एक रुपये तक के मूल्य के पुराने सिक्के टकसालों के साथ पहले से परामर्श करकेउन्हें भेजें।
	29	• बैंकों को यह सुनिश्चित करने के निदेश दिये गये कि ग्राहकों के इस्तेमाल के लिए शाखाओं में पर्याप्त संख्या में नोट गणना मशीनों की आपूर्ति की जाए ताकि उनको जारी किये गये नोटों की संख्यात्मक यथार्थता के बारे में विश्वास दिलाया जा सके।

अनुबंध: प्रमुख नीतिगत गतिविधियों का कालक्रम *(जारी)*

घोषणा की तिथि		उपाय
2004		
फरवरी	3	• शेयरों के अंतरण या आबंटन के संबंध में विदेशी निवेशकों सहित निवेशकों की अनिश्चितताएं दूर करने और प्राप्ति सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया युक्तिसंगत बनाने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये गये। • निजी क्षेत्र के बैंकों से यह अपेक्षा की गयी कि वे संस्था के अंतर्नियम में आशोधन के माध्यम से यह सुनिश्चित करें कि रिज़र्व बैंक की पूर्व प्राप्ति सूचना के बिना 5 प्रतिशत या बैंक की कुल प्रदत्त पूंजी के अधिक के शेयरों के अर्जन का अंतरण नहीं किया जाता है। निजी क्षेत्र के बैंकों को बोर्डों को सूचित किया गया कि वे शेयरों क अंतरण या आबंटन के लिए प्राप्ति सूचना मांगते समय दिशानिर्देशों पर विचार करें।
	5	• बैंकों की 10 करोड़ रुपये तक की पुरानी अनर्जक परिसंपत्तियों के एक बारगी निपटान के लिए बैंकों से प्राप्त किये जानेवाले आवेदनपत्रों की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2004 तक बढ़ायी गयी।
	6	• कर्मचारी अपनी स्वयं की कंपनियों के शेयरों की खरीद कर सके इसलिए उनकी सहायता करने के लिए यह प्रतिबंध हटाया गया कि बैंक 50,000 रुपये या छह महीने का वेतन, जो भी कम हो, का वित्तपोषण कर सकते हैं। अलबत्ता यह स्पष्ट किया गया कि ऐसे अग्रिम बैंक के पूंजी बाजार निवेश का हिस्सा होंगे।
	13	• बैंकों को अतिदेय जमाराशियों के नवीकरण से संबंधित सभी पहलुओं पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी गयी, बशर्ते कि उनके बोर्डों द्वारा गैर-विवेकाधीन और गैर-भेदभावमूलक नीति निर्धारित की गयी हो। इसीतरह, मीयादी जमाराशियों पर अग्रिमों के मार्जिन और मृत जमाकर्ताओं के जमा खाते की परिपक्वता आय पर देय ब्याज के बारे में निर्णय अलग-अलग बैंकों के बोर्डों के स्व-विवेक पर छोड़े गये।
	17	• बैंकों द्वारा गठित तदर्थ समितियों को कहा गया कि वे बैंकों में ग्राहक सेवा के उपबंध पर मौजूदा दिशानिर्देशों में आशोधन/युक्तिकरण के लिए यथोचित सिफारिशें प्रस्तुत करें। इस संबंध में सिफारिशों से विदेशी मुद्रा लेनदेन, सरकारी और लोक ऋण लेनदेन, बैंकिंग परिचालन और मुद्रा प्रबंधन के संबंध में अलग-अलग ग्राहकों के साथ आपसी विचार-विमर्श किया जा सकेगा।
	23	• गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात ऋण प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेश पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश जारी किये गये ताकि बैंकों के गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात पोर्टफोलियों से विशेषतः प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से निर्माण होनेवाली जोखिमों को रोका जा सके। दिशानिर्देशों में अपेक्षा की गयी है कि बैंकों को चाहिए कि वे एक वर्ष से कम मूल परिपक्वता अवधि वाली गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात प्रतिभूतियों में, साथ ही रेटिंग न की गयी ऋण प्रतिभूतियों में और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के असूचीगत शेयरों में निवेश न करें। इन दिशानिर्देशों का समग्र रूप से अनुपालन 31 मार्च 2004 तक किया जाना जरूरी था।
मार्च	15	• बैंकों में सर्वोत्तम व्यवहार संहिता की विषयवस्तु और कवरेज के संबंध में निश्चित न्यूनतम एकसमान स्तर लाने के लिए व्यापक दिशानिर्देश निर्धारित किये गये ।
	18	• प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत मंजूरियों का समय बीतने और वितरण पूरे करने की कट ऑफ तारीख बढ़ाकर 30 सितम्बर 2004 की गई।
	25	• बैंकों को सूचित किया गया कि वे स्वर्ण जयन्ती ग्रामी स्वरोजगार याजना, स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना और सफाई कर्मचारी मुक्ति और पुनर्वास योजना के अंतर्गत अप्रैल 2004 से मासिक आधार पर आंकड़े प्रस्तुत करें।
	26	• सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्य-निष्पादन की जानकारी प्राप्त करने के लिए मानकीकृत प्रोफार्मा में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों के कार्य-निष्पादन की रिपोर्ट निर्धारित की गयी। बैंकों से यह भी अपेक्षा की गयी कि वे अपने आंतरिक प्रयोग के लिए सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों के संबंध में तथा किसी सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक के विरुद्ध कुछ पाया गया हो, तो उसी फार्मेट में जानकारी तैयार करें ओर उसे वार्षिक आधार पर प्रस्तुत करें। बैंकों से कहा गया कि सांविधिक लेखा-परीक्षकों के कार्य-निष्पादन पर जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रेषित निर्धारित प्रपत्र में सांविधिक केन्द्रीय लेखा-परीक्षकों का प्रतिवेदन रिज़र्व बैंक को अग्रेषित करें। बैंक उसी प्रपत्र में अपने आन्तरिक प्रयोग के लिए सांविधिक शाखा लेखा-परीक्षकों सम्बन्धी जानकारी तैयार करें, अगर कोई प्रतिकूल अंश हो, तो उनके लेखा-परीक्षकों के कार्य-निष्पादन प्रतिवेदन संहित हर वर्ष रिज़र्व बैंक को संचारित करें।
	29	• प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा अर्जित या अर्जित किया जानेवाला न्यूनतम स्वाधिकृत निधि कुल आधार पर 15 प्रतिशत से कम या 10 करोड़ रुपये, जो भी कम होना चाहिए। शुद्ध स्वाधिकृत निधि बनाये रखे जाने चाहिए, चाहे आस्तियां प्रतिभूतिकरण के प्रयोजन के लिए गठित न्यास को अंतरित की जाती हैं या नहीं। प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी स्वाधिकृत निधि स्तर धारण करना तब तक जारी रखे जब तक आस्तियों की वसूली होती है, इन आस्तियों पर प्रतिभूति रसीदों का शोधन जारी होता है।
अप्रैल	10	• सार्वजनिक सेवा पर प्रक्रियाओं और कार्य-निष्पादन लेखा परीक्षा पर समिति (अध्यक्ष : श्री एस.एस.तारापोर) की सिफारिशों का अनुपालन करते हुए चेक ड्रॉप बॉक्स सुविधा, काउंटर पर चेक बुकों का वितरण और लेखा विवरण/पास बुक केसंबंध में संशोधित मानदंड जारी किये गये।

अनुबंध: प्रमुख नीतिगत गतिविधियों का कालक्रम *(जारी)*

घोषणा की तिथि		उपाय
2004		
	19	• बैंक, तिमाही लक्ष्यों को पूरा करने के प्रयोजन से प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ऋणों की मंजूरी और वितरण के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश वार प्रत्यक्ष लक्ष्य मार्च 2005 के अंत तक प्राप्त करेंगे।
	22	• बैंकों को ये जानकारी देने के निदेश दिये गये कि वे कम से कम एक महीना पहले उनके खाताधारकों के निर्धारित न्यूनतम बकाया राशि के परिवर्तन और नयूनतम बकाया राशि बनाये न रखे जाने पर लगाये जाने वाले प्रभारों के बारे में सूचित करें। • अनिवासी, अनिवासी सामान्य खाते निवासियों के साथ संयुक्त रूप से रखें।
	23	• वाणिज्यिक बैंकों द्वारा लाभांश के भुगतान के संबंध में दिशानिर्देश योग्यता मानदंड के रूप में आशोधित किये गये (सीआरएआर, अनर्जक परिसंपत्ति और अन्य विनियमों के साथ अनुपालन से संबद्ध मानदंडों को पूरा करने सहित) संकलन प्रणालियों के निर्धारण के साथ देय लाभांश की मात्रा (33^{1}/3 प्रतिशत लाभांश भुगतान अनुपात की उच्चतम सीमा) के लिए भी मानदंड निर्धारित किये गये।
	30	• बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों को छोड़कर) को निदेश दिये गये कि वे नियमित अन्तराल पर सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा से संबंधित नीतियों और पद्धतियों की समीक्षा करें और रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों व उद्योग के उत्तम व्यवहार से मेल खाते हुए उचित कम्प्यूटरीकरण स्तर बनाए रखें। बैंकों से यह भी अपेक्षा की गयी कि अपने कम्प्यूटरीकरण के स्तर के हिसाब से उचित सूचना प्रणाली लेखा-परीक्षा नीति अपनायें और औद्योगिक सर्वोत्कृष्ट प्रणालियां और रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के साथ सुसंगतता रखते हुए नियमित अंतरालों पर उसकी समीक्षा करें। • बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को कार्यदल (अध्यक्ष : श्री एन.डी.गुप्ता) द्वारा की गयी सिफारिश के अनुसार तीन लेखाकरण मानकों (सं. 24 , 26 और 28) का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना था। ये लेखाकरण मानक क्रमशः बट्टा परिचालन, अमूर्त परिसंपत्तियां और परिसम्पत्तियों की हानि से संबंधित हैं।
मई	8	• स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना आर्थिक सहायता का अंतिम भाग होगी जिसकी समय बंदी 2 वर्ष की होगी।
	12	• ग्राहकों, द्वारा 'अपने ग्राहक को जानिये' के लिए दी गयी जानकारी की गोपनीयता का बैंक कड़ाई से अनुपालन करें।
	15	• बैंकों की शाखाएं ऐसी कंपनियों के चालू खाते नहीं खोलें, जो ऋणदात्री बैंकों से विशिष्ट रूप से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किये बिना ऋण सुविधाएं (निधि आधारित या गैर-निधि आधारित) प्राप्त करती है।
	18	• 50,000 रुपये तक के कृषि ऋण और कृषि कारोबार, कृषि क्लिनिक्स के मामले में 5 लाख रुपये तक के ऋणों के मार्जिन / जमानत की आवश्यकता से छूट दी गयी । दीर्घावधि फसलों के लिए अनर्जक परिसंपत्तियों के मानदंड कड़े कर दिये गये। • शेयरों / प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों का वित्तपोषण / बैंकों द्वारा गारंटी जारी करने पर सभी अग्रिमों की मार्जिन आवश्यकता 50 प्रतिशत से कम करके 40 प्रतिशत कर दी गयी। साथ ही बैंकों से अपेक्षा की गयी कि वे उनके द्वारा पूंजी बाजार परिचालनों के लिए जारी की गयी गारंटियों के लिए 20 प्रतिशत का न्यूनतम नकदी मार्जिन (40 प्रतिशत के मार्जिन के भीतर) लें।
जून	11	• बैंकों को दीर्घावधि बांड न्यूनतम पांच वर्षों की न्यूनतम परिपक्वता अवधि के साथ बढ़ाने की अनुमति दी गयी।
	15	• सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं की ऋण सीमा पर जोखिम भारिता 100 प्रतिशत तक बढ़ायी गयी।
	17	• बैंकों द्वारा जमानत रहित ऋण की वर्तमान सीमाएं हटायी गयीं, बैंकों को जमानत रहित ऋण के लिए अपनी स्वयं की सीमाएं गठित करने के लिए कहा गया। जमानत-रहित ऋण पुनर्निर्धारित किये गये और अरक्षित अवमानक परिसंपत्तियों के लिए 20 प्रतिशत प्रावधानन होगा। • दिनांक 31 मार्च 2005 को समाप्त होनेवाले वर्ष से देश जोखिम प्रबंधन संबंधी वर्तमान दिशानिर्देश बढ़ाये गये, ताकि इन देशों को समाविष्ट किया जा सके, जहां बैंक के पास इसकी कुल परिसंपत्तियों के एक प्रतिशत या उससे अधिक निवल निधिक ऋण है।
	18	• बासेल II की ओर अंतरण के लिए रूपरेखा 2004 के अंत तक बनायी जानी थी और बैंकों से अपेक्षा थी कि वे की गयी प्रगति की तिमाही समीक्षा करें।
	21	• दिनांक 31 मार्च 2005 से 'तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए संदिग्ध' श्रेणी के अंतर्गत अनर्जक परिसंपत्तियों की अवधि के अनुसार श्रेणीबद्ध उच्चतर प्रावधानन आवश्यकता शुरू की जानी थी। • जानबूझकर चूककर्ता की पहचान और शिकायतों के निराकरण से संबद्ध क्रियाविधि की प्रक्रिया को दो अलग-अलग प्रक्रियाएं समझा गया। उधारकर्ता को जानबूझकर चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत किये जाने से पहले उचित रूप से सूचित करना जरूरी है।

अनुबंध: प्रमुख नीतिगत गतिविधियों का कालक्रम *(जारी)*

घोषणा की तिथि		उपाय
2004		
		• बैंकों / वित्तीय संस्थाओं के बोर्डों को अनुदेश दिये गये कि वे सभी उधारकर्ताओं के बारे में अपेक्षित जानकारी ऋण आसूचना ब्यूरो (भारत) लिमिटेड को प्रस्तुत की जाती है इसका निरीक्षण करें ओर उसके अनुपालन के बारे में रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट करें। ऋण आसूचना के प्रचार-प्रसार में सीआइबीआइएल की भूमिका स्पष्ट की गयी। यह तय किया गया कि सिविल को पर्याप्त रूप से विशाखीकृत स्वामित्व ढांचे के साथ इस तरह सुव्यवस्थित किया जाये, जिससे कोई भी एकल कंपनी के स्वामित्व में अपनी प्रदत्त पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक राशि होगी। • बैंक के बोर्डों द्वारा अपनायी गयी 'अपने ग्राहक को जानिये' नीति का समग्र रूप से अनुपालन करें i) नये खाते खोलने के लिए ii) मौजूदा खाते जहां कुछ गलती की आशंका है या जहां ऋण/नामे लेनदेनों का संकलन 10 लाख रुपये से अधिक है, और iii) ऐसे सभी खाते जो न्यास, मध्यवर्ती संस्थाओं के हों या अधिदेश या मुख्तारनामा के माध्यम से परिचालित किये जा रहे हों। • सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सतर्कता क्रियाविधि आशोधित की गयी, सतर्कता के केवल ऐसे मामले, जहां स्केल V का कोई अधिकारी शामिल है, आयोग के पास सलाह के लिए भेजे जायें।
	24	• कृषि कार्य को ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों में शामिल हैं- i) प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित किसानों को नए ऋणों का प्रावधान और ऋण पुनर्रचना ii) छोटे और सीमान्त कृषकों को एकबारगी निपटान iii) वे कृषक, जिनके पूर्व ऋण का निपटान बीच-बचाव से हुआ अथवा बट्टे-खाते डाले गए, उन्हें नया वित्त तथा iii) गैर-संस्थागत उधार देनेवालों को देय कृषक ऋण पर राहत उपाय। • बैंकों के बोर्डों को अपवादात्मक परिस्थितियों में पूंजीगत निधियों के 5 प्रतिशत तक एकल या समूह ऋण सीमा बढ़ाने की अनुमति दी गयी। • 31 मार्च 2005 से बैंकों से बुक जोखिमों (डेरिवेटिव सहित) के व्यापार के संबंध में बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार के लिए प्रावधान करने की अपेक्षा की गयी। 'बिक्री के लिए उपलब्ध' (एएफएस) श्रेणी की प्रतिभूतियों के लिए भी 31 मार्च 2006 से पूंजी प्रभार लगाया जाना था।
	25	• निजी क्षेत्र के बैंकों के निदेशकों को 'लायक और उचित' मानदण्ड जारी हुआ।
जुलाई	6	• टीयर II बांडों में बैंकों के कुल निवेश की विवेकसम्मत सीमा में शामिल किये जानेवाले लिखतों के प्रकार की व्याप्ति बढ़ा दी गयी।
	12	• चुकौति की तारीखों को फसलों की कटाई के साथ एकरूप करने की दृष्टि से आय-निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और कृषि अग्रिमों के संबंध में प्रावधानन संबंधी विवेकपूर्ण मानदंडों में संशोधन किये गये। 30 सितंबर 2004 से अल्पावधिक फसल के लिए दिये जानेवाले ऋण को उसका मूलधन या ब्याज की किस्त नियत तारीख के बाद दो फसल मौसमों तक अप्रदत्त रह जाने पर गैर-निष्पादक माना जायेगा। दीर्घावधिक फसलों (एक वर्ष से अधिक चलनेवाले फसल मौसमवाली) को यदि उनका मूलधन या ब्याज की किस्त नियत तारीख के बाद एक फसल मौसम के लिए अप्रदत्त रह जाने पर गैर-निष्पादक माना जायेगा।
	20	• बैंकों पर स्वर्ण कार्ड जारी करने के संबंध में कोई न्यूनतम वार्षिक टर्नओवर सीमा निर्धारित करने पर रोक लगा दी गयी, क्योंकि योजना का उद्देश्य छोटे और मझौले उद्यमी (एसएमई) घटक सहित सभी उधार पात्र निर्यातकों को शामिल कर लेना था। • बंधक युक्त प्रतिभूतियों (एमबीएस) में बैंकों द्वारा किये गये निवेशों को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के ऋणों के भीतर आवास को दिये जानेवाले प्रत्यक्ष उधारों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया, बशर्ते कि वे कतिपय शर्तें पूरी करते हो।
	23	• जानबूझकर चूक करनेवालों के विरुद्ध कुछ और उपाय शुरू किये गये जिनमें अतिरिक्त सुविधाओं पर प्रतिबंध, नये वेंचर शुरू करने के लिए पांच वर्ष की अवधि के लिए संस्थागत वित्त पाने पर रोक, कानूनी कार्रवाइयां और मोचन निषेध प्रारंभ करना तथा जहां कही आवश्यक हो अपराधिक कार्रवाइयां प्रारंभ करना, जानबूझकर चूक करनेवाले उधारकर्ता यूनिटों के प्रबंधन में परिवर्तन लाने के संबंध में एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना, ऋण करार में इस आशय का प्रतिज्ञापत्र शामिल करना जिससे उधारकर्ता कंपनी पर किसी ऐसे व्यक्ति जो किसी ऐसी कंपनी के बोर्ड का निदेशक हो जिसकी जानबूझकर चूक करनेवाली आदि के रूप में पहचान की गयी हो, को भरती नहीं करेंगे।
	26	• बैंकों को सूचित किया गया कि वे प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र, कृषि और कमजोर वर्गों को दिये जानेवाले ऋण में वृद्धि करें ताकि निर्दिष्ट लक्ष्य पूरे किये जा सकें तथा ऋणों पर ब्याज दरों से संबंधित निदेशों का पालन हो सकें। • रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 की उप धारा (1) के अधीन आवेदन किये जाने पर भारत सरकार ने उपर्युक्त धारा की उप धारा (2) के अधीन ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के संबंध में 24 जुलाई 2004 को कारोबार की समाप्ति से 23 अक्तूबर 2004 सहित की अवधि के लिए अधिस्थगन का आदेश जारी किया। भारत सरकार ने उक्त बैंकिंग कंपनी को आदेश के पैरा (2) के तहत निदेश भी जारी किये जिसमें कतिपय देयताओं के भुगतान और दायित्वों को प्राधिकृत किया गया। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ समामेलन कर देने के लिए रिज़र्व बैंक ने उपर्युक्त धारा की उप धारा (4) द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनायी गयी एक योजना और उपर्युक्त अधिनियम की धारा 45 की उप धारा (6) के खंड (क) के अनुसार उपर्युक्त बैंकों को यदि उनके कोई सुझाव या आपत्ति हो तो उस संदर्भ में भेज दी।

अनुबंध: प्रमुख नीतिगत गतिविधियों का कालक्रम *(जारी)*

घोषणा की तिथि		उपाय
2004		
		• बैंकिंग प्रणाली से कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए दिये जानेवाले ऋण के संबंध में गठित परामर्शदात्री समिति (अध्यक्षः प्रो.वी.एस. व्यास) की कुछ सिफारिशों को तत्काल कार्यान्वित करने के संबंध में निदेश दिये गये।
	29	• चालू खाता खोलने के लिए खाता धारक से घोषणा पर बैंक बल दे जिसमें हो कि वह किसी अन्य वाणिज्यिक बैंक से किसी ऋण सुविधा का लाभ न पा रहा है अथवा किसी अन्य वाणिज्यिक बैंक के साथ उसको ऋण सुविधा के होने की घोषणा हो। बैंक यह पता लगाए कि क्या कोई किसी अन्य सहकारी समिति/बैंक का सदस्य है; अगर ऐसा है, तो तत्सम्बन्धी पूरे ब्यौरे।
अगस्त	3	• सिविल न्यायालयों द्वारा आयोजित लोक अदालतों को भेजे जानेवाले मामलों की उच्चतम मौद्रिक सीमा तत्काल प्रभाव से 5 लाख रुपयों से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी।
	17	• बैंक अपने समस्त ईक्विटी धारणों को दिसंबर 2004 के अंत तक, अभौतिक रूप (इलेक्ट्रानिक रूप) में परिवर्तित कर लें ।
	26	• बैंकों को यह सुनिश्चित करना था कि इंदिरा आवास योजना और स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना के अधीन कृषकों को ग्रामीण आवास के संबंध में दिये जानेवाले अग्रिमों पर देय ब्याज/किस्त संबंधी कार्यक्रम को फसल के चक्र के साथ संबद्ध किया गया है।
	28	• बैंकों को निदेश दिये गये कि वे किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) धारियों के लिए निजी दुर्घटना बीमा (योजना (पीएआईएस) के अधीन मास्टर पॉलिसी को वर्तमान शर्तों पर एक वर्ष के लिए नवीकृत करा लेने संबंधी कार्रवाई अपने स्तर पर प्रारंभ करें।
सितम्बर	1	• आवास वित्त के क्षेत्र में धोखाधड़ियों को रोकने के लिए समूह के सुझाव पर बैंक कार्य करे।
	2	• एचटीएम श्रेणी के तहत 25 प्रतिशत से आगे जाने को बैंकों को अनुमति मिली बशर्ते कि अधिकता में केवल एसएलआर प्रतिभूतियाँ हों तथा एचटीएम श्रेणी में धारित कुल एसएलआर प्रतिभूतियाँ उनके एनडीटीएल के 25 प्रतिशत से अधिक न हो। उपरोक्त की प्राप्ति के लिए, बैंकों को एसएलआर प्रतिभूतियों को एचटीएम श्रेणी में बदलने की अनुमति हुई। फिर भी, एचटीएम श्रेणी में गैर-एसएलआर की नई की अनुमति नहीं। • 21 अगस्त 2004 से प्रभावी भारि बैंक अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल है यस बैंक लि.।
	4	• कारवाई ली गई रिपोर्ट में ऋण प्रवाह पर कार्यकारी बल के चन्द सिफारिशों के कार्यान्वयन (ग्राक्षेबैंक समेत) करना है।
	10	• बैंकों को ऐसी शाखाएं खोलने की अनुमति दी गयी जो केवल आंकड़ा संसाधन, प्रलेखों के सत्यापन और संसाधन अन्य शाखाओं से अनुरोध किये जाने पर चेक बुक, मांग ड्राफ्ट जारी करना और बैंकिंग कारोबार के संबंध में प्रासंगिक ऐसे अन्य कार्य करेंगी जिनका ग्राहक से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। ञ्सेवा शाखा श्रेणीट के अधीन ऐसी शाखाओं के लिए लाइसेंस जारी करने का भी निर्णय लिया गया है।
	11	• अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रहित) का प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं के एक प्रतिशत के आधे से बढ़ा दिया गया जो दो चरणों, 18 सितंबर 2004 को 4.75 प्रतिशत और 2 अक्तूबर 2004 को 5.0 प्रतिशत कर दिया गया।
	20	• बैंकों को अपनी संस्था में सतर्कता प्रबंधन के वर्तमान तंत्र में ध्यान देने तथा स्टाफ की जवाबदेही निर्धारित करने और धोखाधड़ी के सभी मामलों में स्टाफ की ओर से कार्रवाई पूरी की जाने के संबंध में यदि कोई कमी हों तो उसे दूर करने के निदेश दिये गये जो कि निवारक के रूप में कार्य करेगा। उनसे यह भी अपेक्षा की गयी कि वे भारी मूल्य की धोखाधड़ियों, निगरानी रखने के लिए गठित किये गये बोर्ड की विशेष समिति को इस संबंध में की जानेवाली कार्रवाई की सूचना दें।
	30	• चलनिधि समायोजन सुविधा के अधीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयुक्त 'रिपो' और 'रिवर्स रिपो' अभिव्यक्तियों का प्रयोग अपनाया जाना तथा तदनुसार वर्तमान के ञरिपोट जहां रिज़र्व बैंक चलनिधि को खपा लेता है उसे 'रिवर्स रिपो' कहा जायेगा। और वर्तमान के 'रिवर्स रिपो' परिचालन को जिसमें रिज़र्व बैंक चलनिधि भर देता है, को 'रिपो' कहा जायेगा ।
अक्तूबर	1	• बाह्य वाणिज्यिक उधारों को इक्विटी में परिवर्तित करने की सामान्य अनुमति निम्न शर्तों पर दी गयी i) कंपनी की गतिविधि स्वतः मार्ग के अधीन आती हो, ii) ऐसे परिवर्तन के बाद विदेशी इक्विटी क्षेत्रगत उच्चतम सीमा के भीतर रहती हो और iii) निर्धारित मूल्यन दिशानिर्देशों का पालन किया जाता हो । इस संबंध में सूचना देने संबंधी आवश्यकताएं भी निर्दिष्ट की गयी ।
	4	• बैंकों को नाबार्ड की संशोधित मॉडल केसीसी योजना को नोट करने तथा कृषकों अर्थात सम्बद्ध एवं गैर-खेती कार्यकलोपों की ऋण अपेक्षाओं के लिए निवेश पेश करने को कहा गया।

अनुबंध: प्रमुख नीतिगत गतिविधियों का कालक्रम *(जारी)*

घोषणा की तिथि		उपाय
2004		
	7	• डाक घरों के माध्यम से कार्यान्वित की जानेवाली वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 2004 सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 'लोक भविष्य निधि योजना, 1968, का कार्य करनेवाली सभी शाखाओं के जरिए भी चलायी जायेगी।
	14	• 'भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लिमिटेड' को 11 अक्तूबर 2004 से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया।
	15	• बैंकों को निदेश दिया गया कि वे बैंकिंग प्रणाली से कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण प्रवाह पर गठित परामर्शदात्री समिति (अध्यक्ष : प्रो. वी.एस.व्यास) की कुछ और स्वीकृत सिफारिशें कार्यान्वित करें। सिफारिशों के संबंधित क्षेत्र थे - बंजर भूमि और परती भूमि (फालो लैंड) के विकास का वित्तपोषण, कृषि को फुटकर ऋण प्रदान किये जाने को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्टाफ नियुक्ति में सुधार लाना, ऋण संवितरण के लिए ग्रामस्थ संस्थाओं पर निर्भर रहना, व्यक्तिगत स्वयंसेवकों, कृषकों के क्लबों या गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) / स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की प्रत्यक्ष बिक्री एजेंट के रूप में सहायता लेना अच्छे कार्यवाली प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और वाणिज्य बैंकों के बीच सहयोगी संबंध स्थापित करना, ग्रामीण शाखाओं में सूचना प्रौद्योगिकी प्रयोग में लाना तत्परता से की जानेवाली चुकौतियों के लिए यथोचित प्रोत्साहन विन्यास तैयार करना, लघु ऋणों पर ब्याज की दरें औचित्यपूर्ण बनाना, छोटे ऋणकर्ताओं को ऋण सुपुर्दगी संबंधी दक्षता में सुधार लाना। • ठेकेदारी कृषि के साथ जुड़ जाना आदि टीयर II और टीयर III पूंजी के अधीन गौण ऋण लिखत जारी करने की प्रक्रिया से संबंधित दिशानिर्देश जारी किये गये।
	19	• निवेशकर्ताओं और जमाकर्ताओं के हित में किसी बैंक पर लगाये जानेवाले दण्ड के ब्यौरे पब्लिक डोमेन रखे जाने है। निरीक्षण रिपोर्टों के आधार पर आलोचना या निदेश या अन्य निष्कर्ष भी पब्लिक डोमेन पर प्रदर्शित किये जायेंगे।
	26	• एसएसआइ सेक्टर को प्रत्यक्ष ऋणदात्री सम्बन्धी प्रतिभूतिकृत आस्तियों बैंकों द्वारा किए गए निवेश को प्राथमिकता क्षेत्र को एसएसआइ क्षेत्र के तहत माना जाए बशर्ते कि निम्न शर्तें पूरी हों - i) पूल की आस्तियाँ एसएसआइ क्षेत्र के तहत प्राथमिकता क्षेत्राधीन माना जाए, ii) प्रतिभूतिकृत ऋण बैंको / वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदत्त हैं। • छोटे और सीमान्त कृषकों को ऋण प्रदान करने में प्रगति को ध्यान रखकर मार्च 2007 तक विशेष कृषि ऋण योजना के तहत प्रत्यक्ष अग्रिम माना जाए। एसएसीपी के तहत संवितरण पर अर्ध-वर्ष के विवरण जो छोटे और सीमान्त किसानों के ऋण के डाटा अलग से भेजा जाए। समस्त प्राइवेट सेक्टर बैंक भी वर्ष 2005-06 से एसएसीपी लक्ष्यों का प्रतिपादन करें जिसमें कृषि के ऋण संवितरण का कम से कम 20-25 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर हो। • (क्षेग्रा बैंक तथा स्थानीय क्षेत्र बैंक समेत) बैंक अपने बोर्डों का अनुमोदन लेकर उनके प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के भाग के रूप में अवस्थान पर ध्यान दिए बिना रु.15 लाख तक आवास क्षेत्र को प्रत्यक्ष वित्त विस्तारित करने को अनुमत है। • एसएसआइ को ऋण प्रवाह को सुलभ करने को ध्यान में रखकर, यह निर्णय लिया गया कि एसएसआइ उद्यमियों के लिए संमिश्र ऋण सीमा रु.50 लाख से रु. एक करोड़ हो। • अक्तूबर 2004 से प्रारम्भ (हर माह के सूचनाप्रद अंतिम शुक्रवार को) मासिक आधार पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों को कृषि ऋण पर डाटा प्रस्तुत करना होगा, संलग्न प्रपत्र पर अथवा आनेवाले माह के सातवें दिवस पूर्व जिससे डाटा सम्बद्ध हो। • (क्षेग्राबैंक छोड़कर) बैंक गैर-संस्थागत ऋणदाताओं को उनके ऋणों को पीड़ीत शहरी गरीब को ऋण अग्रिम करें जो उचित संपार्शिक अथवा समूह सुरक्षा के मुकाबले जो उनके नियन्त्रक बोर्ड के अनुमोदन के अधीन हो। शहरी दरिद्र के ऐसे ऋणों को प्राथमिकता क्षेत्र में बलहीन वर्ग के तहत वर्गीकृत किया जाएगा। • वाणिप की न्यूनतम परिपक्वता अवधि तत्काल प्रभाव से 15 दिवस से घटाकर 7 दिन किया गया। • कृषिकार्य क्षेत्र को ऋण प्रदान करने में और प्रगति के मदेनज़र प्राथमिकता क्षेत्र के तहत अग्रिमों की सीमा ड्रिप/छिड़काव सिंचाई प्रणाली सहित कृषिगत मशीनरी के डीलरों को रु.20 लाख से रु.30 लाख तथा सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए बिविष्टि के संवितरण के लिए रु. 25 लाख से रु.40 लाख किया गया। • 08 जनवरी 2005 से प्रारम्भ होनेवाले पखवाड़े से प्रभावी, किसी सूचनादेय पखवाड़े में औसातन बैंकेतर सहभागियों को ऋण देने की अनुमति है जो 2000-01 के दौरान मांग/सूचना मुद्रा बाज़ार में उनके औसतन दैनिक ऋण दान 30 प्रतिशत तक हो।
	27	• 01 नवम्बर 2004 से प्रभावी एजेंसी बैंक अपने स्वयं की कर देयताओं (टीडीएस, कार्पोरेशन कर आदि) का भुगतान अपने स्वयं की शाखाओं मात्र के जरिए सरकारी ख़ाते में करेंगे। ऐसे भुगतानों को स्क्रोलों में अलग से इंगित किए जाने चाहिए ताकी अन्य लेन-देनों पर 'कुल कारोबार कमीशन' के लिए बैंक पात्र नहीं है।
नवम्बर	1	• बैंको को विस्तृत और पारदर्शी नीति का प्रतिपादन तीन पहलुओं को शामिल करके करना होगा, जैसे; i) स्थानीय/बाहरगाँव के चेकों का अविलम्ब जमा ii) स्थानीय/बाहरगाँव के चेकों की धनवसूली पर समय-सीमा तथा iii) विलम्बकृत वसूली पर ब्याज भुगतान और इस सम्बन्ध में वर्तमान अनुदेश वापस लिए गए।

अनुबंध: प्रमुख नीतिगत गतिविधियों का कालक्रम *(जारी)*

घोषणा की तिथि		उपाय
2004		
		• बैंक अपने स्व-विवेक पर दशी/एनआरओ सम्यावधि जमाओं पर न्यूनतम काल को कम कर सकते हैं यहाँ तक कि 15 दिवसों से 7 दिवसों तक रु. 15 लाख से कम राशि हो।
		• आस्ति वर्गीकरण पर निर्णय के लिए राज्य सरकार गारण्टी लागू करने की आवश्यकता तथा प्रावधानन अपेक्षाएँ अव-सम्पर्क हों एवं राज्य सरकारों द्वारा गारण्टीकृत न हुए खुलाव उसी मापदण्ड पर लागू हों।
		• 01 नवम्बर 2004 से प्रभावी संविदाकृत एक से तीन वर्ष तक परिपक्वता की एनआरइ जमाराशियों के लिए (क्षेग्रा बैंक सहित) बैंकों द्वारा प्रदान ब्याजदरें लिबोर/स्वैपदरों से अनधिक हो जो पिछले माह के अन्तिम कार्य दिवसपर अमडा के लिए समरूपी परिपक्वता प्लस 50 आधार बिन्दु है।
		• 01 नवम्बर 2004 से प्रभावी बैंकों को अनुमति दी गई कि एफ़सीएन (बी) जमाराशियों पर भी ब्याज दरें निश्चित करें, जो पिछलेमाह के अन्तिम कार्य-दिवस पर चालू लिबोर/स्वैप दरों पर आधारित हो। फिर भी, ब्याज दरों पर उच्च सीमा लिबोर/स्वैप दर घटाकर 25 आधार बिन्दुओं में चालू रहे, जो अबतक येन जमाराशियों को छोड़कर जहाँ बैंक एफ़सीएनआर (बी) जमा दरों में स्वतन्त्र हों जो लिबोर के लगभग समान अथवा कम हो।
ख) शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) क्षेग्रा बैंक		
2003		
अप्रैल	29	• सभी शहरी सहकारी बैंक तत्काल प्रभाव से अधिदेशात्मक समवर्ती लेखा-परीक्षा लागू करें।
मई	14	• प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण के एक भाग के रूप में 'कृषि को दिये जानेवाले परोक्ष वित्त' ड्रिप इरिगेशन (निपात सिंचाई)/ छिड़काव सिंचाई प्रणाली और कृषि मशीनों के व्यापारियों के लिए प्रति व्यापारी 20 लाख रुपयों तक वर्गीकृत हो। अग्रिम / ग्रामीण और अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में 10 लाख रुपयों तक के प्रत्यक्ष आवास ऋण जिन्हें प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों के रूप में माना जायेगा।
	17	• गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को धनी अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के पास जमाराशियां रखने की अनुमति दी गयी।
	22	• 90 दिवसीय मानदण्ड से एक लाख रुपये तक के स्वर्ण ऋणों और छोटे ऋणों को अनर्जक छूट दी गयी। गैर-निष्पादक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत हो जाने संबंधी 180 दिवसीय मानदंड 31 मार्च 2001 तक लागू अतः इन ऋणों पर रहेगा जिसका मार्गदर्शक सिद्धांत 4 सितम्बर 2004 को बना।
जून	13	• प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक 31 मार्च 2003 से प्रारंभ करते हुए छमाही विवरण (31 मार्च/ 30 सितम्बर को समाप्त होनेवाली छमाही के लिए) प्रस्तुत करेंगे जिसमें अल्पसंख्यांक समुदायों को ऋण के विनियोजन में उनके द्वारा की गयी प्रगति दर्शायी गयी हो।
जुलाई	8	• एनडीएस - सिसिल की सदस्यता न रखनेवाले प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को निदेश दिये गये कि वे एनडीएस के सदस्यों के पास रखे श्रेष्ठ प्रतिभूति खाते /डीमैट (अमूर्त) खाते के जरिये अपने लेनदेन करें।
सितम्बर	5	• बाह्य स्थान (ऑफ साइट) निगरानी (ओएसएस) विवरणियों के अधीन शहररी सहकारी बैंकों द्वारा प्रस्तुत किये जानेवाले विवरणों की संख्या 10 से घटाकर 8 कर दी गयी। उक्त आठ विवरणियों में से एक की आवधिकता वार्षिक है और शेष सात विवरणियां तिमाही अंतराल में प्रस्तुत की जानी हैं।
	19	• रिजर्व बैंक द्वारा ग्रेड II, III या IV के रूप में वर्गीकृत न किये गये शहरी सहाकरी बैंक लाभांश घोषित कर सकते हैं तथापि शर्त यह होगी कि लाभांश के भुगतान हो जाने से बैंक की चलनिधि की स्थिति में बाधा न आये। फिर भी, ग्रेड II के रूप में वर्गीकृत बैंकों को लाभांश घोषित करने के लिए रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय पूर्व अनुमति लेनी होगी। • शहरी सहकारी बैंक 31 मार्च 2003 को समाशोधन समायोजन खाते में तीन वर्षों से अधिक समय से बकाया रही प्रत्येक 500 रुपये तक की राशियों के 'देय' समाशोधन अंतर वाली प्रविष्टियों पर समाशोधन अंतर 'प्राप्य' वाली प्रविष्टियों का समंजन (नेट ऑफ) कर सकते हैं।
अक्तूबर	18	• नयी अप्रत्यवर्तीनीय अनिवासी (बाह्य) रुपया (अनिवासी भारतीय) जमाराशियों संबंधी ब्याज दरें अमेरीकी डालर की तदनुरूपी परिपक्वतावाली जमाराशियों संबंधी लाइबारे / स्वैप दरों के ऊपर 25 आधार अंक से (17 जुलाई 2003 को घोषित 250 आधार अंक और 15 सितम्बर 2003 को घोषित 100 आधार अंक के मुकाबले) अधिक नहीं होनी चाहिए। ब्याज दरों में हुए उक्त परिवर्तन वर्तमान की परिपक्वता अवधि के पुनर्नवीकृत प्रत्यावर्तनीय अनिवासी जमाराशियों पर भी लागू होंगे।
	21	• शहरी सहकारी बैंकों को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की प्रतिभूतियां धारित करने के लिए एक डिपाजिटरी के पास डिमैट खाता खोलने की अनुमति दी गयी।

अनुबंध: प्रमुख नीतिगत गतिविधियों का कालक्रम *(जारी)*

घोषणा की तिथि		उपाय
2004		
जनवरी	5	• राज्य/मध्यावर्ती सहकारी बैंकों/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को चाहिए कि वे 31 मार्च 2001 से संबंधित अंतर-शाखा में 31 मार्च 2004 को बकाया रही नामे और प्रविष्टियों को अलग-अलग करें तथा निवल स्थिति का हिसाब करें। यदि निवल नामे बनता है तो मार्च 2004 समाप्त वर्ष से प्रावधान किया जाए। • शहरी सहकारी बैंकों के लिए शेयरों की जमानत पर दिये जानेवाले सभी अग्रिमों पर मार्जिन दिये जानेवाले ऋण की मात्रा में बिना कोई परिवर्तन किये तत्काल से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया। • क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया गया कि वे वर्तमान प्रणालियां तथा नियंत्रणों की समीक्षा करें तथा इनमें रहनेवाली कमियों/खामियों को दूर करें ताकि आवास उपभोक्ता और खुदरा वित्त संविभागों में धोखाधड़ी होने से बचा जा सके।
	17	• प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को नोट पैकटों को स्टैपल करने की प्रथा से दूर रहने के लिए सूचित किया गया। साथ ही, बैंको से कहा गया है कि वे अशोक स्तंभ वाले नोट जारी न करें।
फरवरी	11	• शहरी सहकारी बैंकों पर दूसरे शहरी सहकारी बैंकों के सीएसजीएल खाते खोलने पर पाबंदी लगा दी गयी। यदि पहले ही कोई खाता खोला गया हो, तो उसे तत्काल बंद कर देना चाहिए।
मार्च	10	• ऋण जोखिम मानदण्डों संबंधी दिशानिर्देशों तथा ऋणों और अग्रिमों पर रहनेवाले सांविधिक और अन्य प्रतिबंधों के संबंध में प्राथमिक (शहरी) सहाकारी बैंकों को एक मास्टर परिपत्र जारी किया गया। • प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के निदेशक बोर्डों के संबंध में एक मास्टर परिपत्र जारी किया गया जिसमें बोर्ड के गठन तथा भूमिका, ऋणों और अग्रिमों और निदेशकों को फीस और भत्तों के भुगतान संबंधी क्षेत्र शामिल किये गये थे।
	11	• ऐसे शहरी सहकारी बैंकों के प्रशासकों/ परिसमापकों द्वारा जमाकर्ताओं के दावे दर्शानेवाली सूची भेजी गयी जिनके बारे में रिज़र्व बैंक द्वारा नियुक्त किसी सनदी लेखाकार द्वारा परिसमापन/ समामेलन/ विलयन/ पुनर्संरचना के लिए प्रमाणित किया जाना था।
	16	• प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए रुपया जमाराशियों पर ब्याज दरों के संबंध में एक मास्टर परिपत्र जारी किया गया। इसमें शामिल क्षेत्र थे; (i) चालू, बचत और मीयादी जमा खातों पर देय ब्याज दरें; (ii) मीयादी जमाराशियों का अवधि पूर्व आहरण; (iii)) ऋण जोखिम मानदण्डों तथा ऋणों पर सांविधिक / अन्य प्रतिबंधों के संबंध में दिशानिर्देश; (iv) मीयादी जमाराशियों में पुनर्निवेश के लिए आवर्ती जमाराशियां; और (v) मीयादी जमाराशियों की जमानत पर मार्जिन और छूटें।
	20	• शहरी सहकारी बैंकों को चाहिए कि वे सहवर्ति लेखा-परीक्षकों द्वारा सूचित भारी अनियमितताओं की तथा इसके निवारण में की गयी कार्रवाई की सूचना दें।
	26	• 'अपने ग्राहक को जानिए' के अनुपालन के भाग के रूप में एक समयबद्ध कार्रवाई योजना निर्धारित की गयी ताकि सभी पुराने खातों के संबंध में विश्वसनीय प्रलेखों के आधार पर ग्राहक की पहचान और पते का सत्यापन करने संबंधी कार्रवाई पूरी की जा सके।
	29	• 97 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को और एक वर्ष के लिए अर्थात 31 मार्च 2005 तक सेवा क्षेत्र दायित्वों के संबंध में छूट दी गयी। एसजीएसवाई के लाभान्वितियों तथा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के वित्तपोषण के संबंध में वर्तमान व्यवस्थाएं 31 मार्च 2005 तक जारी रहेंगी।
अप्रैल	15	• गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध में व्यापक दिशानिर्देश जारी किये गये।
मई	20	• क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एसएलआर प्रतिभूतियों के संबंध में 'मार्क टू मार्केट' मानदण्डों से और एक वर्ष अर्थात मार्च 2004-05 तक छूट दी गयी।
	24	• प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक आवासीय संपत्ति के बंधक पर ऋण और अग्रिम मंजूर करते समय मूल्यन के संबंध में उचित सतर्कता बरतें।
	26	• प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों की बाह्य स्थानीय निगरानी जो अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के लिए पहले से ही लागू है, बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये और अधिक की जमाराशियों वाले गैर-अनुसूचित वाणिज्य बैंकों पर लागू कर दी गयी।
	29	• 'अपने ग्राहक को जानिए' के अनुपालन के संबंध में ग्राहक द्वारा दी गयी जानकारी की गोपनीयता कड़ाई से रखी जाएं

अनुबंध: प्रमुख नीतिगत गतिविधियों का कालक्रम *(जारी)*

घोषणा की तिथि		उपाय
2004		
जुलाई	13	• भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1034 की दूसरी अनुसूची में शामिल किये जाने संबंधी किसी भी आवेदन पर तब तक विचार नहीं करना है जब तक कि प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए एक उचित कानूनी ढ़ांचा बना नहीं लिया जाता।
	28	• गैर-अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को लेखा परीक्षकों / सनदी लेखाकारों से इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेना चाहिए कि वर्ष के दौरान किसी अपात्र बैंक में कोई जमाराशि नहीं रखी गई है।
अगस्त	6	• 'तीन वर्षों से अधिक समय के लिए संदिग्ध' श्रेणी में गैर निष्पादक आस्तियों की समय-सिथति के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए श्रेणीबद्ध उच्चतर प्रावधान करना 31 मार्च 2005 तक लागू।
	7	• शहरी सहकारी बैंकों द्वारा मंजूर किये जानेवाले ऋणों और अग्रिमों (जमानती और गैर-जमानती दोनों) के लिए निदेशक और रिश्तेदार में जामीन/गारंटीदाता बनने के पात्र नहीं है।
	18	• ग्रामीण गोदामों के विनिर्माण/ नवीकरण/ विस्तार की ऋण संबद्ध पूंजी निवेश उपदान योजना के अधीन उपदान प्रारक्षित निधि खाते में जमा शेष सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)/ प्रारक्षित नकदी अनुपात (सीआरआर) की हिसाब करने के प्रयोजन के लिए मांग और मीयादी देयता (डीटीएल) का भाग नहीं है।
	19	• जब तक बेची गयी प्रतिभूति वास्तविक रूप में ग्राहक के श्रेष्ठ प्रतिभूति खाते में धारित न हो, तब तक श्रेष्ठ प्रतिभूतिधारी कोई बिक्री लेनदेन करने के पात्र नहीं हैं।
सितम्बर	2	• यूसीबीको अनुमति थी कि एचटीएम श्रेणी के तहत सीमा 25 प्रतिशक से अधिक हो, बशर्ते कि अधिकता केवल एसएलआर प्रतिभूतियाँ तक हो तथा एचटीएम श्रेणी में धारित कुल एसएनआर प्रतिभूतियाँ उनके एनडीटीएल के 25 प्रतिशत अधिक न हो। उक्त प्रयोजन हेतु, यूसीबी को एसएलआर प्रतिभूतियों को एचटीएम श्रेणी में बदलने की अनुमति है। फिरभी, एचटीएम श्रेणी में प्रवेश के लिए नए एसएलआर इतर प्रतिभूतियों को अनुमति नहीं है।
	11	• संदिग्ध वर्गीकृत आस्तियाँ, अगर 12 माह के लिए दूसरे दर्जे की श्रेणी में बनी रहीं, तो उनके मुकाबले अतिरिक्त प्रावधान पूर्व अनुमत चार वर्षों की जगह 31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष से प्रारम्भ पाँच वर्षीय अवधि तक फैलने दिया जाएगा। बैंक प्रारम्भ के हर दो वर्ष के लिए अपेक्षित प्रावधान न्यूनतम 10 प्रतिशत करें तथा शेष का समान किस्तों में आनेवाले तीन वर्षों के लिए रखे।
		• अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों, अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रारक्षित नकदी अनुपात (सीआरआर) इनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं के एक प्रतिशत के आधे तक दो चरणों में बढ़ा दिया गया, 18 सितम्बर 2004 से 4.75 प्रतिशत और 2 अक्तूबर 2004 से 5.0 प्रतिशत।
	27	• 'तीन वर्षों से अधिक समय के लिए संदिग्ध' के रूप में पहचान किये गये अग्रिमों के लिए 31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष से प्रारम्भ अतिरिक्त प्रावधान चार वर्षों की जगह पाँच वर्ष की अवधि में फैलाया जाएगा।
अक्तूबर	20	• यूसीबी को नमूने के तौर पर रिज़र्व बैंक द्वारा प्रावधानित शहरी बैंकिंग क्षेत्र में सुप्रबन्धित बैंकों द्वारा पालन किए गए आदर्शात्मक उत्तम व्यवहारों जैसा समान व्यवहारों के पालन को इंगित सूची दी गई। फिर भी, यूसीबी कोई अन्य व्यवहार चलाने को स्वतन्त्र है जो बेहतर ग्राहक सेवा तथा कारोबार विकास में योगदान करें।
	27	• क्षेग्रा बैंक कम्पनी एजेंट के रूप में जोखिम सहभागिता के बिना बीमा कार्य करने को अनुमत हैं बशर्ते कि बिवल मालियत, सकल एनपीए, लाभप्रदता, इर्डा विनियमनों के अनुपालन, अधिमान मापदण्ड और रिज़र्व बैंक निदेशादिकतिपय नियमों व शर्तों को पूरा करें।
नवम्बर	1	• एनआरइ जमाराशियों पर राज्य और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों द्वारा प्रदान ब्याज दरें जो 1 नवम्बर 2004 से प्रभावी एक से तीन वर्ष तक परिपक्वता संविदाकृत है, पिछले माह के अन्तिम कार्य-दिवस को लिबोर/स्वैप दरों से अधिक न हो, 50 आधार बिन्दु समरूपी परिपक्वता प्लस अमडा हेतु।
		• यूसीबी को अनुमति मिली कि अपने विवेकाधिकार पर देशी/एनआरओ मीयादी जमाराशियों की न्यूनतम अवधि यहाँ तक कम करें कि रु. 15 लाख से कम 15 दिनों से 7 दिन के हो।
	6	• बैंक /विसं को पुनः बल दिये गये कि सिबिल को आवधिक डाटा तथा भारि बैंक को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

अनुबंध: प्रमुख नीतिगत गतिविधियों का कालक्रम *(जारी)*

घोषणा की तिथि		उपाय
		(ग) वित्तीय संस्थाएं
2003		
मई	5	• उचित कार्य संहिता पर व्यापक दिशा निर्देश एआइएफआइ की तर्ज पर ही जारी किए गए।
	30	• चिरकालिक एनपीए के निपटान समझौते के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए गए। संशोधित एकबारगी निपटान (ओटीसी) योजना के तहत आवेदन पत्र प्राप्ति का अंतिम दिनांक बढ़ाकर 30 अप्रैल 2003 से 30 सितम्बर 2003 किया गया और आवेदन पत्रों पर कार्य पूरा करने का दिनांक 31 अक्तूबर 2003 से 31 दिसम्बर 2003 किया गया।
जून	20	• मासिक समवर्ती लेखा परीक्षा रिपोर्ट रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किया जाना तुरंत प्रभाव से बंद किया गया। 31 मार्च 2003 को समाप्त छमाही से, खज़ाना लेनदेन की समवर्ती लेखा परीक्षा रिपोर्ट में देखी गई मुख्य अनियमितताएं निवेश संविभाग की छमाही समीक्षा में शामिल की जानी है और रिज़र्व बैंक के बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीबीएस) के क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रस्तुत की जानी हैं।
जुलाई	1	• भारत सरकारी की दिनांकित प्रतिभूतियों के एनएसई, बीएसई और ओटीसीइआइ की स्वचलित प्रणाली पर क्रय-विक्रय की अनुमति दी गई। इस प्रयोजनार्थ, वित्तीय कंपनियों को भारतीय रिज़र्व बैंक में उनके एसजीएल खातों के अलावा निक्षेपागार सहभागी में अभूत खाता खोलने की अनुमति दी गई और एसजीएल/सीएसजीएल तथा अमूत खातों के बीच प्रतिभूतियों के मूल्य रहित अंतरण को प्रभावी बनाया जाएगा।
	17	• एनपीए बाबत गलतियां रोकने पर रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशों की भावना को ध्यान में रखकर उसमें सिफारिश किए गए उपाय आवश्यक सीमा तक लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु वित्तीय संस्थाएं उन्हें अपने निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करेंगी।
	29	• वित्तीय कंपनियों को संशोधित दिशा निर्देश जारी किए गए ताकि वे जानबूझकर की गई चूकों को पहचानने हेतु कदम उठाएं और उनकी सूचना दें। उन्हें यह भी सूचित किया गया कि यदि कोइ्र उधारकर्ता यह अभिवेदन करता है कि इसे जानबूझ कर चूक करने वाले के रूप में गलती से श्रेणीबद्ध किया गया है तो ऐसे उधारकर्ताओं की सुनवाई के लिए वे शिकायत निवारण तंत्र तैयार करें।
अगस्त	1	• वित्तीय कंपनियों के समेकित लेखांकन और समेकित पर्यवेक्षण पर अंतिम दिशा निर्देश जारी किए गए।
	6	• कम्पनियों सहित गैर-बैंक संस्थाएँ कतिपय शर्तों के तहतवाप जारी करने ऋण बढ़ावा बिना शर्त व तोड़ने न लायक गारण्टी प्रदान करने को अनुमत हैं।
नवम्बर	4	• वित्तीय कंपनियों द्वारा ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करने पर ड्राफ्ट दिशा निर्देश जारी किए गए जिनमें निम्नलिखित पहलू शामिल किए गए : (i) वित्तीय कंपनियों की आंतरिक स्तर निर्धारण प्रणाली मजबूत करने की आवश्यकता, (ii) ऋण प्रतिभूतियों के माध्यम से ऋण जोखिम पर विवेकपूर्ण सीमाएं, (iii) वित्तीय कंपनियों की निदेशक मंडलों द्वारा समीक्षा, और (iv) तुलन-पत्र संबंधी ठखातों पर नोटड में सार्वजनिक प्रकटीकरण।
	15	• वित्तीय कंपनियों को ऋण क्षति हेतु 31 मार्च 2006 को समाप्य वर्ष से 90 दिवसीय मानदण्ड अपनाने हैं। तथापि, संशोधित मानदंड अपनाने से आनेवाले अतिरिक्त प्रावधानीकरण के बोझ को कम करने के लिए वित्तीय कंपनियों को अनुमति दी गई कि वे 31 मार्च 2006 को समाप्य वर्ष से तीन वर्ष की अवधि में अपेक्षित प्रावधान समाप्त करें और अतिरिक्त प्रावधान का न्यूनतम एक चौथाई प्रति वर्ष किया जाए।
2004		
जनवरी	8	• 1 अप्रैल 2004 से वित्तीय कंपनियों द्वारा सीपी और सीडी से अन्य एक वर्ष से कम की मूल अवधिपूर्णता वाली ऋण प्रतिभूतियों और बिना स्तर निर्धारण वाली ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करने पर रोक लगायी गई।
फरवरी	17	• बैंकों के 10 करोड़ रुपये तक के चिरकालिक एनपीए के एक बारगी निपटान (ओटीएस) के आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई 2004 की गई।
जुलाई	26	• वित्तीय कंपनियों को एकल/ समूह उधारकर्ता विवेकपूर्ण ऋण जोखिम की उच्चतम सीमा अर्थात क्रमशः 15 प्रतिशत और 40 प्रतिशत और मूलभूत सुविधाओं के लिए ऋण जोखिम के प्रति क्रमशः 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की अतिरित सीमाओं का कड़ाई से पालन करना होगा। वित्तीय कंपनियां अपवादात्मक स्थितियों में अपने बोर्ड के अनुमोदन से किसी उधारकर्ता के प्रति पूंजी निधि के 5 प्रतिशत तक और अधिक ऋण जोखिम पर विचार कर सकते हैं बशर्ते उधारकर्ता वित्तीय कंपनी को उनकी वार्षिक रिपोर्टों में उचित प्रकटीकरण की सहमति दें।
अगस्त	3	• ''तीन वर्ष से अधिक समय से संदिग्ध'' श्रेणी में रहे एनपीए के लिए 31 मार्च 2005 से आयुवार श्रेणीबद्ध उच्च प्रावधानीकरण लागू किया गया।
	30	• वित्तीय कंपनियों को सामान्य शेयर लिखतों में नए निवेश करने और उन्हें अमूर्त रूप मे धारण करने की तत्काल प्रभाव से अनुमति दी गई। पर्चि रूप के शेयरों में सभी बकाया निवेश दिसम्बर 2004 की समाप्ति से अमूर्त रूप में लाए जाने चाहिए।

अनुबंध: प्रमुख नीतिगत गतिविधियों का कालक्रम *(जारी)*

घोषणा की तिथि		उपाय
2004		
नवम्बर	1	• 31 मार्च 2005 से प्रभावी, विसं के सन्दर्भ में किसी आस्ति को तभी संदिग्ध वर्गीकृत किया जाए, अगर वह 12 माह के लिए अव-मानक बनी रहे। विसं को अनुमति है कि 31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष से प्रारम्भ करके हर वर्ष न्यूनतम 20 प्रतिशत चार वर्ष की अवधि में परिणामगत अतिरिक्त प्रावधान को चरण बद्ध करें।
		(घ) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)
2003		
जुलाई	28	• एनबीएफसी को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 झेडए के तहत बनायी गई बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियमावली, 1985 का पालन करना होता है। तदनुसार, एनबीएफसी के जमाकर्ताओं को एक व्यक्ति को नामित करने की अनुमति होती हैं जिसे जमाकर्ता की मृत्यु होने पर एनबीएफ सी द्वारा राशि लौटायी जाती है।
	31	• फरवरी 2003 में, एनबीएफसी का विनियामक ढांचा संशोधित किया गया ताकि भारत सरकार द्वारा जारी दिनांकित प्रतिभूतियों और खजाना बिलों में और राज्य सरकारों दिनांकित प्रतिभूतियों में हाजिर वायदा संविदाओं की अनुमति दी जा सके। इस प्रयोजन के लिए एनबीएफसी को सूचित किया कि वे सांविधिक चलनिधि अपेक्षाओं के अनुपालनार्थ सरकारी प्रतिभूति के धारण के लिए विशेष सीएसजीएल खाता या अमूर्त खाता बनाए रखे और सांविधिक अपेक्षाओं से अधिक सरकारी प्रतिभूतियां व्यापार प्रयोजनार्थ रखने के लिए अलग सीएसजीएल या अमूर्त खाता बनाए रखे।
अगस्त	1	• एनबीएफसी हेतु विवेकपूर्ण मानदण्ड बैंकों और वित्तीय कंपनियों को नियंत्रित करने वाले मानदण्डों की तर्ज पर संशोधित किए गए। ये मानदण्ड अन्य बातों के साथ-साथ निम्नवत से संबंधित हैं : (1) एनपीए की अवधि, (2) मूलभूत सुविधा ऋण, (3)पुनर्रचना या पुनर्निधारण या पुनःवात्र, (4) पुनर्रचनाकृत मानक और अव-मानक खातों का व्यवहार, (5) निधीकृत ब्याज, (6) आय निर्धारण मानदण्ड, (7) प्रावधानीकरण, (8)पुनर्निधारित अवमानक मूलभूत सुविधा ऋणों के उन्नयन हेतु पात्रता, (9) ऋण का सामान्य शेयरों या डिबेंचरों में रूपांतरण, (10) मूलभूत सुविधा ऋणों से अन्य के ऋणों पर पुनर्निर्धारण और अन्य मानदण्ड लागू होना और (11) आंतरिक समायोजन।
	28	• वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निमाण और प्रतिभूति ब्याज का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 3 के तहत रिज़र्व बैंक में पंजीकृत प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी होने वाली एनबीएफसी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए, 45-आइबी और 45-आइसी के प्रावधानों से छूट है। धारा 45-आइए में पंजीकरण और निवल स्वाधिकृत निधि की परिभाषा दी गई है, धारा 45-आइबी में अभारित अनुमोदित है और धारा 45-आइसी में एनबीएफसी की प्रारक्षित निधि पर व्याख्या है।
सितम्बर	17	• एनआरआइ जमाराशियों पर प्रत्यावर्तनीय आधार पर एनबीएफसी, विविध एनबीएफसी और अवशिष्ट एनबीएफसी द्वारा देय ब्याज दर एनआरइ जमाराशियों पर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा देय ब्याज दर से संबद्ध है। उक्त जमाराशियों की अवधि एक वर्ष कम और तीन वर्ष से ज्यादा नहीं होगी।
नवम्बर	3	• बैंकों द्वारा एनबीएफसी को आगे लघु उद्योग क्षेत्र को देने के प्रयोजनार्थ प्रदान किए गए सभी नए ऋणों की गणना प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋणों के तहत की जाएगी।
2004		
जनवरी	5	• एनबीएफसी के लिए अपने ग्राहक को जानिए दिशा निर्देश अनुसूचित वाणिज्य बैंकों हेतु जारी दिशा निर्देशों जैसी ही हैं। आपराधिक कार्यों से प्राप्त निधि एनबीएफसी के माध्यम से अंतरित करने या उनमें रखने या आतकवाद के वित्तपोषण हेतु उनका उपयोग होने से एनबीएफसी की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किए गए। व्यक्तिगत पहचान के अलावा किसी नए ग्राहक की पहचान के लिए दस्तावेजी साक्ष्य उपयोग में लायी जाएगी। विद्यमान ग्राहक के बाबत, एनबीएफसी ने यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राहक पहचना प्रक्रिया पर अपने ग्राहक को जानिए दिशा निर्देशों के अनुपालन में कमी और अप्राप्त जानकारी 30 जून 2004 से पहले पूरी कर दी जाए। 10 लाख रुपये और अधिक के लेनदेन वाले मामलों का रेकार्ड शाखा और साथ ही पंजीकृत कार्यालयों में अलग रजिस्टरों में रखा जाना चाहिए।
फरवरी	10	• रिजर्व बैंक में पंजीकृत एनबीएफसी को शुल्क आधार पर और बिना जोखिम सहभागिता के बीमा एजेंसी व्यवसाय करने की अनुमति दी गई, बशर्ते कि वे : (i) आइआरडीए से आवश्यक अनुमति प्राप्त करें और बीमा कंपनियों के ज्संमिश्र कंपनी एजेंटट के रूप में कार्य करने के लिए उसके विनियमों का अनुपालन करें। (ii) एनबीएफसी द्वारा वित्तपोषित आस्तियों के संबंध में अपने ग्राहकों को किसी खास बीमा कंपनी का ही उत्पाद लेने पर बल देने की कोई प्रतिबंधात्मक प्रथा नहीं अपनाएँ। (iii) यह प्रकट करें कि एनबीएफसी द्वारा प्रस्तुत वित्तीय सेवा संबंधी प्रावधान और बीमा उत्पाद के उपयोग के बीच कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ठसंबंधड नहीं है। बीमित द्वारा प्रीमियम का भुगतान सीधे बीमा कंपनी को किया जाए, ताकि एनबीएफसी के माध्यम से। यदि बीमा एजेंसी में कोई जोखिम हो तो वह एनबीएफसी के व्यवसाय में अंतरित नहीं होना चाहिए।

अनुबंध: प्रमुख नीतिगत गतिविधियों का कालक्रम *(जारी)*

घोषणा की तिथि		उपाय
2004		
मार्च	11	• गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को ऋण देने के संबंध में (i) बैंक वित्त के संबंध में एनबीएफसी के लिए पात्रता मानदण्ड और (ii) एनबीएफसी द्वारा किए जानेवाले ऐसे कार्यकलाप, जो बैंक ऋण के योग्य नहीं हैं से संबंधित व्यापक दिशा-निर्देश वाला मास्टर परिपत्र जारी किया गया। बैंकों को उपकरण पट्टा कंपनियों के साथ या उपकरण पट्टेदारी के काम में लगी अन्य एनबीएफसी के साथ विभागीय रूप में पट्टा करार करने पर प्रतिबंधित किया गया। बैंकों द्वारा तात्कालिक ऋण दिए जाने पर प्रतिबंध लगाया गया।
अप्रैल	24	• एनबीएफसी को 24 अप्रैल 2004 से नयी अनिवासी भारतीय जमाराशि लेने के संबंध में प्रतिबंधित किया गया, लेकिन वे पूर्वगृहीत जमाराशि का नवीकरण कर सकती हैं।
मई	17	• एनबीएफसी/आरएनबीसी अधिकृत बैंकों में सुरक्षित अभिरक्षा के लिए भौतिक रूप में रखी प्रतिभूतियों पर देय तिथि को ब्याज की वसूली के लिए पदनामित बैंकों को अधिकृत कर सकती हैं।
जून	15	• अब लोक वित्त संस्थाओं में एनबीएफसी के निवेश पर 100 प्रतिशत का जोखिम भार लगेगा और संरचनात्मक ऋण की परिभाषा का विस्तार किया गया।
	22	• आरएनबीसी के निवेश को तरलता और सुरक्षा प्रदान करने तथा जमाकर्ताओं की सुरक्षा बढ़ाने हेतु आरएनबीसी के लिए निर्धारित निवेश ढाँचे को युक्तियुक्त बनाया गया। अन्य उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं। (i) आरएनबीसी द्वारा किए जानेवाले विवेकाधीन निवेश को 1 अप्रैल 2004 तक चरणबद्ध रूप में समाप्त करना, (ii) विनिर्दिष्ट वित्तीय संस्थाओं में निवेश केवल एए+और उससे ऊपर की श्रेणी के जमा प्रमाणपत्रों तक सीमित करना, (iii) केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा अपने बाजार उधार कार्यक्रम के दौरान जारी की गई प्रतिभूतियों में जमाराशि के 15 प्रतिशत का अतिरिक्त निवेश, (iv) बाण्ड और डिबेंचर में निवेश एए+और उससे ऊपर की श्रेणी की सूचीबद्ध प्रतिभूतियों तक सीमित। (v) पारस्परिक निधि निवेश केवल ऋणोन्मुखी योजनाओं तक सीमित, जिसकी उपसीमा किसी भी एक निधि में 2 प्रतिशत होगी, और (vi) निवेश-जोखिम सीमा एकल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की सकल जमा देयताओं के एक प्रतिशत और एकल विनिर्दिष्ट वित्तीय संस्था के लिए आरएनबीसी की जमाराशियों के एक प्रतिशत से अनधिक तक सीमित की गयीं
जुलाई	24	• यह निर्णय लिया गया कि जिस एनबीएफसी को गैर-सार्वजनिक जमाराशि लेनेवाली श्रेणी में पंजीकरण प्रमाणपत्र दिया गया है उसे सार्वजनिक जमाराशियां स्वीकार करने के लिए रिज़र्व बैंक को आवेदन भेजने हेतु पात्र होने के लिए 2 करोड़ रुपये की न्यूनतम स्वाधिकृत निधि की आवश्यकता की पूर्ति करनी चाहिए।
अक्तूबर	5	• एक न्यूनतम अवरुद्धता अवधि रखी गई जिसके भीतर कोई एन बी एफ सी, आर एन बी सी या एम एन बी किसी सार्वजनिक जमाराशि (एन बी एफ सी के मामले में) या जमाराशि (आर एन बी सी और एम एन बी सी के मामले में) की चुकौती नहीं करेगी या ऐसी जमाराशियों की जमानत पर कोई ऋण प्रदान नहीं करेगी। यह भी निर्णय लिया गया कि एन बी एफसी, एम एन बी सी और आर एन बी सी को जमा राशियों की पूर्व चुकौती (अवरुद्धता अवधि के बाद) हेतु अनुमति के प्रयोजन से दो श्रेणियों में अर्थात् समस्याग्रस्त एन बी एफ सी, एम एन बी सी और आर एन बी सी तथा सामान्य रूप से चल रही कंपनियों के रूप में स्तरबद्ध किया जाए। तदनुसार, उक्त दो समूहों के लिए पूर्व चुकौती मानदंडों के आधार पर विभिन्न मानदंड जारी किए गए और जमाराशियों पर ब्याज दरों का भुगतान किया जाना है।
नवंबर	13	• सार्वजनिक जमाराशियां न स्वीकारने वाली/धारण न करने वाली एन बी एफ सी के लिए जिसकी परिसंपत्तियाँ 31 मार्च 2004 को 500 करोड़ रुपये और अधिक है, तिमाही सूचना देने की व्यवस्था प्रारंभ की गई।
ङ) प्राथमिक व्यापारी		
2003		
अप्रैल	3	• सीमित प्रयोजन की सरकारी प्रतिभूति उधार योजना के लिए भारतीय समाशोधन निगम को परिचालनात्मक दिशा-निदेश जारी किए गए। भारतीय समाशोधन निगम को परिचालनात्मक दिशा निदेशों के अधीन सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन के निपटान में आनेवाली कमी से निपटने के प्रयोजन के लिए सरकारी प्रतिभूतियां उधार लेने हेतु अपने किसी सदस्य के साथ व्यवस्था करने के लिए अनुमति दी गयी।
	10	• प्राथमिक व्यापारियों को संविभाग प्रबंध सेवाओं के लिए परिचालनात्मक दिशा निदेश जारी किए गएं। प्राथमिक व्यापारियों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे संविभाग प्रबंध सेवा गतिविधि शुरू करने से पहले बैंक से पूर्वानुमति लें और सेबी के साथ पंजीकरण करें। उन्हें केवल ऐसी संस्थाओं को संविभाग प्रबंध सेवा देने के लिए अनुमति है जिनका विनियमन रिज़र्व बैंक द्वारा नहीं किया जाता।
	29	• सीबीएलओ उधार को सीआरआर से छूट दी गयी बशर्ते बैंक 3.0 प्रतिशत के सांविधिक न्यूनतम सीआरआर को बनाये रखें। सीबीएलओ के लिए ग्राहकों की सहायक सामान्य खाता बही सुविधा के अंतर्गत भारतीय समाशोधन निगम के पास रखे बैंक के 'गिल्ट एकाउन्ट' में दायर प्रतिभूतियों में किसी दिन की समाप्ति पर शेष भाररहित प्रतिभूति को संबंधित बैंक द्वारा एसएलआर प्रयोजन के लिए गिना जाएगा।

अनुबंध: प्रमुख नीतिगत गतिविधियों का कालक्रम *(समाप्त)*

घोषणा की तिथि		उपाय
2003		
जून	3	• प्राथमिक व्यापारियों को ब्याज दर जोखिम के प्रति अपने निवेश जोखिम का प्रबंध करने के लिए उन्हें अपने अंतर्निहित निवेश संविभाग में जोखिम प्रतिरक्षा के सीमित प्रयोजन से केवल कल्पित बाण्ड और खज़ाना बिलों के संबंध में ब्याज दर फ्यूचर्स में लेनदेन करने के लिए अनुमति दी गयी।
	11	• प्राथमिक व्यापारियों को ब्याज दर फ्यूचर्स में सौदा केन्द्र बनने के लिए अनुमति दी गयी।
सितम्बर	22	• प्राथमिक व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत विवरणियों का युक्तिकरण किया गया। छः विवरणियां समाप्त की गयी और तीन विवरणियां संशोधित की गयी।
2004		
जनवरी	7	• पूंजी पर्याप्तता मानक और जोखिम प्रबंध के संबंध में संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गएं।
	29	• मुख्य वित्तीय संकेतक और विभिन्न अनुपातों के संबंध में 31 दिसम्बर 2003 को समाप्त तीमाही से एक नयी तीमाही विवरणी शुरू की गयी।
मार्च	8	• गैर-सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध में विवेकपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गएं।
	29	• सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री से संबंधित संशोधित दिशानिर्देशों के तहत प्राथमिक व्यापारियों को वर्तमान पुष्टीकृत खरीदी गयी संविदा के आधार पर प्रतिभूति बेचने के लिए अनुमति दी गयी बशर्ते उस संविदा के निपटान के लिए भारतीय समाशोधन निगम जैसी केन्द्रीय प्रति पार्टी द्वारा गारंटी दी गयी हो या उस संविदा की प्रतिपार्टी रिज़र्व बैंक हो। दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए कतिपय रक्षोपाय निर्धारित किए गएं। संशोधित दिशानिर्देशों के अंतर्गत निपटान सहज होने के लिए सरकारी प्रतिभूति लेनदेन को सुपुर्दगी बनाम वितरण-III प्रणाली में परिवर्तित किया गया ताकि विशिष्ट निपटान चक्र के लिए निवल आधार पर हरेक प्रतिभूति वितरणयोग्य/प्राप्य हो, जबकि सुपुर्दगी बनाम वितरण-II प्रणाली के अंतर्गत प्रतिभूतियों के सकल निपटान की प्रणाली प्रचलित है। इन परिवर्तनों से पुनर्खरीद लेनदेनों के आवर्तन में भी सुविधा होगी।
जून	3	• सीआरएआर से सम्बद्ध व्यय अनुपात पर आधारित लाभांश वितरण के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गएं।
जुलाई	23	• 'बाजार स्थिरीकरण योजना' के अंतर्गत खज़ाना बिल जारी करने की बढ़ायी गयी मात्रा के संदर्भ में यह निर्णय किया गया है कि प्राथमिक व्यापारियों के लिए खज़ाना बिल नीलामियों में 40 प्रतिशत बोली लगाने की प्रतिबद्धता के सफलता अनुपात की आवश्यकता पर छमाही आधार पर निगरानी रखी जाए। हरेक प्राथमिक व्यापारी को हरेक छमाही (अप्रैल से सितम्बर तक और अक्तूबर से मार्च तक) में सफलता अनुपात का अपेक्षित स्तर अलग-अलग रूप में प्राप्त करना होगा।
अगस्त	24	• प्राथमिक व्यापारी दिसम्बर 2004 के अंत तक अपने इक्विटी निवेश केवल डीमैट रूप में ही धारित करें।
अक्तूबर	15	• टीयर II और टीयर III पूंजी के अंतर्गत गौण ऋण लिखतों के निर्गम के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गएं।
अक्तूबर	26	• निर्धारित रिपो दर रिज़र्व बैंक के एल ए एफ के तहत विद्यमान 4.50 प्रतिशत से 25 आधार अंक बढ़ाकर 4.75 प्रतिशत किया गया। 27 अक्तूबर 2004 से रेपो दर और प्रति रेपो दर के बीच का अंतर 25 आधार अंक कम होकर 150 आधार अंकों से 125 आधार अंक हो गया। तदनुसार, एल ए एफ के तहत निर्धारित प्रति रेपो दर 6.0 प्रतिशत पर बना रहेगा। ''रेपो'' और ''प्रति रेपो'' शब्दों के अंतर्राष्ट्रीय प्रयोग में अंतरण 29 अक्तूबर 2004 से किया गया। एल ए एफ का प्रभाव और अधिक बढ़ाने और चलनिधि प्रबंध को लचीले तरीके से सुगम बनाने के लिए 7 दिवसीय और 14 दिवसीय रेपो (अंतर्राष्ट्रीय दायरे में प्रति रेपो) की नीलामी 1 नवंबर 2004 से बंद की गई है। तदनुसार, 1 नवंबर 2004 से एल ए एफ योजना एक दिवसीय निर्धारित दर रेपो और प्रति रेपो के माध्यम से चलायी जाएगी।
नवंबर	13	• सभी प्राथमिक व्यापारियों को यह सुनिश्चित करना है कि जब भी कोई चूक होती है (लेनदेनों में उनके दायित्वों की पूर्ति में चालू और/या एसजीएल खातों में पर्याप्त अनुशेष बनाए रखने में) तो उन्होंने ऐसी चूकों का ब्योरा रिज़र्व बैंक को तत्काल देना है।